221

# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
## (अनुभाग-3)

क्रमांक एफ- 4(23)ग्रारो/नरेगा/06 जयपुर, दिनांक

24 MAR 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नियोजित मजदूरों की टास्क स्टडी की रिपोर्ट के आधार पर एवं दिये गये सुझावों में यह निष्कर्ष निकला है कि वर्तमान में निर्धारित किया गया टास्क युक्तिसंगत है। मजदूरों को उनकी निर्धारित टास्क प्राप्त करने हेतु निम्न प्रयास किये जावें तो वे निर्धारित अवधि में दिये गये टास्क को प्राप्त किया जा सकता है एवं निर्धारित न्यूनतम मजदूरी रू. 100/- प्राप्त की जा सकती है:-

1. श्रमिकों को उनकी रूचि के अनुसार 5-5 के समूह में अनिवार्य रूप से गठन किया जावे।
2. समूहों द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान बीच में भी उनके द्वारा इस दिये निष्पादित दिये गये कार्य की प्रगति से अवगत करवाया जावे।
3. मेट को पूर्ण प्रशिक्षण दिया जावे तथा रूचि लेकर कार्य निष्पादित करवाने हेतु प्रेरित किया जावे।
4. कार्य पर प्रचलित लीड व लिफ्ट का पर्याप्त प्रावधान व छूट मौके के अनुसार दिये जाने हेतु तकनीकी स्टॉफ द्वारा मेट को स्पष्ट मार्गदर्शन दिये जावें।
5. निष्पादित कार्यों का कार्यक्रम अधिकारियों/ तकनीकी सहायकों द्वारा त्वरित निरीक्षण कर, टास्क प्राप्ति हेतु श्रमिकों को प्रेरित किया जावे।

उक्त सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु सभी संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी को कार्यवाही करने हेतु तुरंत अवगत करावें एवं क्रियान्वित सुनिश्चित करे।

भवदीय,

(जी.एस. सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः-

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. समस्त कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति (समस्त) को उपरोक्तानुसार पालानार्थ प्रेषित है।

परियोजना निदेशक एवं उप शासन सचिव (ग्रा.रो.)